



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 1987/पौष 2, 1909

No. 645] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 1987/PAUSA 2, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वित्त विभाग

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1987

अधिसूचना

सा.का.नि. 1005(अ):—केन्द्रीय सरकार, सरकारी
बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 57) की धारा
15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर
सावधि जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर सावधि
जमा (दूसरा संशोधन) नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त
होंगे ।

2. डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के नियम
2 में,—

(1) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः-
स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(कक) “बैंककारी कंपनी” से बैंककारी विनियमन
अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 में
यथापरिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है ;

(कब) “कंपनी” से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956
का 1) में यथापरिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है ;

(का) “निगम” से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा
या उसके अधीन स्थापित कोई निगम अभिप्रेत है ;

(कघ) “रेजीमेंट निधि” से संघ के सर्वोच्च बलों द्वारा,
ऐसे बल के सेवानिवृत्त या सेवा कर रहे सदस्यों और उनके
आश्रितों के कल्याण के लिए, स्थापित कोई निधि अभिप्रेत
है ;

(2) नियम 4 में, उपनियम (2) के नीचे की सारणी
में, “ग. संस्थागत सेवा” शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं. 5
और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम
सं. और प्रविष्टियां अंतर्भावित की जाएंगी, अर्थात्:—

“5क. अन्य	कोई न्याय को	एक या	संस्था या
संस्थान	बैंककारी कंपनी	अधिक चाहे	निधि को
लेखा	(सरकारी को		नियंत्रित
	छाकरी), कोई		करने वाले
	नियम द्वारा संभाल		प्राधिकारी
	संस्था, तत्समय		द्वारा यथा
	प्रवृत्त किसी विधि		प्राधिकृत

के अधीन किसी
सोसाइटी के रूप
में रजिस्ट्रीकृत कोई
निकाय (सहकारी
को छोड़कर)
भारतीय भागीदारी
अधिनियम, 1932
(1932 का 9)
के अधीन रजिस्ट्री-
कृत कोई फर्म,
कोई स्थानीय
प्राधिकरण और
रेजीमेंट निधि
और कल्याण निधि

एक या
अधिक
व्यक्ति

[फा. सं. 7/20/85-एन.एस]
के.एस. शास्त्री, अपर सचिव

टिप्पणः— मूल नियम, सा.का.नि. 664(अ) तारीख
17-12-1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और
उनका सा.का.नि. 300 (अ), तारीख 1-4-82,
सा.का.नि. 257 (अ), तारीख 11-3-83,
सा.का.नि. 418 (अ), तारीख 10-5-85, सा.का.
नि. 193 (अ), तारीख 12-2-86 और सा.का.नि.
362 (अ), तारीख 1-4-87 द्वारा संशोधन किया
गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
New Delhi, the 23rd December, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 1005(E).—In exercise of the powers conferred by
section 15 of the Government Savings Banks Act, [1873 (5 of
1873), the Central Government hereby makes the following
rules further to amend the Post Office Time Deposit Rules,
1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office Time
Deposit (Second Amendment) Rules, 1987.
- (2) They shall come into force on the date of their pub-
lication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Post Office Time Deposit Rules, 1981,—
(i) after clause (a), the following clauses shall be inserted,
namely :—

“(aa) “banking company” means a company as defined
in section 5 of the Banking Regulation Act, 1949
(10 of 1949);

(ab) “company” means a company as defined in the
Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(ac) “corporation” means a corporation established
by or under any law for the time being in force;

(ad) “regimental fund” means any fund established by the
armed forces of the Union for the welfare of the
retired or serving members of such force and their
dependents”;

(ii) in rule 4, in the Table below sub-rule (2), under
the heading “C-Institutional Accounts”, after Sl.
No. 5 and the entries relating thereto, following
Sl. No. and entries shall be inserted, namely :—

“5A. Other institutional Accounts	A trust, a banking company (excluding cooperatives), a corporation, an association, institution, a body registered as a Society under any law for the time being in force (excluding co- operatives), a firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), a local authority and Regimental Fund and Welfare Fund.	one or more accounts.	one or more persons as authorised by the au- thority con- trolling the institution or Fund.”
---	---	-----------------------------	---

[F. No. 7/20/85-NS]

K. S. SASTRY, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published vide GSR 664(E)
dated 17.12.1981 and amended vide GSR 300(E)
dated 1-4-1982, GSR 257(E) dated 11-3-83, GSR
418(E) dated 10-5-85, GSR 193(E) dated 12-2-86 and
GSR 362(E) dated 1-4-1987.